राष्ट्रीय टीम को लेकर प्रदेश भाजपा का भी उलझ रहा समीकरण

- यूपी के कई नाम नितिन नवीन की टीम में बना सकते हैं जगह
- कोर कमेटी की बैठक बुलाने पर चर्चा, कई नामों पर खींचतान

राज्य ब्यूरो, जागरण• लखनऊ: प्रदेश संगठन में बदलाव को लेकर दो माह से कसरत कर रही भाजपा के सामने राष्ट्रीय टीम का समीकरण भी उलझ रहा है। पार्टी के सामने दोनों संगठनों का गठन कर चुनावी डगर पर आगे बढ़ने का लक्ष्य है। बंगाल चुनाव के बाद पार्टी राष्ट्रीय व प्रदेश इकाई दोनों पर फोकस करते हुए चुनावी समीकरण कसेगी। वहीं, कोर कमेटी बुलाने की भी चर्चा है। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार, निगमों, आयोगों व बोर्ड में रिक्त पदों को भरने को लेकर होमवर्क पूरा नहीं है। चर्चा है कि संगठन से लेकर अन्य स्तरों पर असमंजस को दूर करने के लिए पार्टी कोर कमेटी में जाएगी। वहीं, दूसरे राज्यों में प्रभारी बनाकर भेजे गए एक राजपूत, एक ब्राह्मण व प्रदेश इकाई में पदाधिकारी एक ओबीसी चेहरे को राष्ट्रीय टीम में भेजने की बात उठी है।

पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि पहले यूपी में भाजपा के संगठन से जुड़े ज्यादातर विषय कोर कमेटी में रखकर हल किए जाते थे, जिसमें मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री संगठन, दोनों डिप्टी सीएम, कई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ चेहरे आमंत्रित किए जाते हैं। कमेटी कई नामों पर विचार कर निर्णय देती है, जिसके बाद अध्यक्ष की ओर से सूची जारी करने की परंपरा है। पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मुख्यमंत्री योगी, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, गृहमंत्री अमित शाह एवं प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन संगठन व सरकार को लेकर कोई निर्णय सामने नहीं आया। कहा जा रहा कि छह क्षेत्रीय अध्यक्षों एवं 45 सदस्यीय प्रदेश इकाई घोषित करने में दर्जनभर नामों पर खींचतान एवं सिफारिशों का दबाव इतना पड़ा कि निर्णय को टालना पड़ा है। पार्टी का अधूरा होमवर्क भी उलझन की वजह बना। अभी लखनऊ-दिल्ली के बीच कई बार की भागदौड़ बची है। वहीं, घोषणा में देरी होने से नामों को लेकर सिफारिशों का दबाव बढ़ता जा रहा है। 15 मई के आसपास पार्टी नई टीम घोषित करने का संकेत दे रही है।

मई में 1.52 प्रतिशत कम देना होगा बिजली का बिल

राब्यू, जागरण• लखनऊ: अप्रैल में उपभोग की गई बिजली के लिए अगले माह मई में सभी श्रेणियों के लगभग 3.72 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को 1.52 प्रतिशत कम बिल देना होगा। बिजली कंपनियों के फरवरी माह के ईंधन अधिभार में कमी के चलते मई में उपभोक्ताओं को 118 करोड़ रुपये का लाभ होगा।

पावर कारपोरेशन द्वारा जारी आदेश के अनुसार फरवरी माह की ईंधन लागत में कमी को समायोजित करने पर उपभोक्ताओं को मई में 1.52 प्रतिशत कम बिल देना होगा। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा का कहना है कि फरवरी में उपभोक्ताओं से 10 प्रतिशत से अधिक लेने और पुराने औसत बिलिंग दर के आधार पर वसूली की गई थी। मौजूदा व्यवस्था में केवल दबाव या विरोध के बाद ही आंशिक राहत दी जाती है जो कि पारदर्शिता और न्यायसंगत व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। वर्मा ने विद्युत नियामक आयोग से मांग की है कि पावर कारपोरेशन के मौजूदा फार्मूले की समीक्षा कर उसे उपभोक्ता हित में संशोधित किया जाए।

गुजरात की तरह यूपी में भी प्रीपेड स्मार्ट मीटर का दिया जाए विकल्प

राब्यू, जागरण• लखनऊ: गुजरात विद्युत नियामक आयोग द्वारा रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बिल में दो के बजाय तीन प्रतिशत छूट देने के साथ ही प्रीपेड मीटर को वैकल्पिक व्यवस्था करार दिए जाने का आदेश किया है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने गुजरात की तरह प्रदेश में भी प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता समाप्त करते हुए उपभोक्ताओं को विकल्प देने की मांग की है। परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से कहा है कि प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता समाप्त करने संबंधी अपने समक्ष लंबित प्रस्ताव पर निर्णय करते हुए उपभोक्ताओं को पोस्टपेड या प्रीपेड मोड का विकल्प देने का आदेश जल्द करें।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

शाखा आफिस - एआरएमबी, लखनऊ
निकट कपूरथला चौराहा, अलीगंज, लखनऊ-226024
मो. नं. 7060027344 ईमेल: cs8272@pnb.bank.in

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

ई-नीलामी प्रक्रिया से "वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत जो प्रतिभूति (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के साथ पठित है, अचल/चल संपत्तियों की बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना।

जनसाधारण और विशेष रूप से उधारकर्ताओं, जमानतकर्ताओं, बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल/चल संपत्ति(यों) जिन्हें बैंक के पक्ष में गिरवी/बंधक रखा गया था एवं जिनका रचनात्मक कब्जा (सांकेतिक/भौतिक) पंजाब नैशनल बैंक (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है की ई-नीलामी **'जहाँ है जैसा है", "जहां है जो है" और "जो भी हो'** के अनुसार निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं), बंधककर्ता(ओं) और जमानतकर्ताओं से प्रतिभूत राशि की वसूली के लिए की जाएगी। बिक्री की तारीख, आरक्षित मूल्य, EMD राशि एवं अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण (कोई अधिभार ज्ञात नही) निम्नानुसार है। ऋणियों/ जमानतकर्ताओं /बंधककर्ताओं का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

बिक्री हेतु बंधक सम्पत्ति का विवरण

क्र सं	शाखा का नाम खाते का विवरण उधारकर्ता/जमानतकर्ता/ खाता का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण बंधक/सम्पत्ति मालिक का नाम (बंधक सम्पत्ति/यां) (परिसम्पत्ति से सम्बन्धित सभी भाग व एवं हिस्सों सहित)	अ)डिमांड नोटिस की तिथि 13(2)सरफेसी नियम 2002 ब)बकाया राशि स) कब्जा की तिथि, 13(4) सरफेसी नियम 2002 द)कब्जा का प्रकार-रचनात्मक/सांकेतिक/भौतिक कब्जा	अ)आरक्षित मूल्य ब)धरोहर धनराशि (धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि) स) वृद्धिशील बिड धनराशि	ई-नीलामी की तिथि व समय	प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात अधिभार का विवरण
धरोहर धनराशि जमा करने हेतु खाते का विवरण : खाता नं. 827200317118A आईएफएस कोड (IFS code)-PUNB0827200 नोडल अधिकारी - श्री ए. पी. मिश्रा, मुख्य प्रबन्धक, एआरएमबी, लखनऊ, मो. +91 7060027344						
1	शाखा : एआरएमबी लखनऊ(146800-लखनऊ चारबाग) खाता का नाम-मेसर्स यशवी इन्फोटेक (1468008700001195) उधारकर्ता: मेसर्स यशवी इन्फोटेक, प्रोपराईटर/ बंधककर्ता-श्रीमती रुचिता महाजन पत्नी श्री कमल कुमार महाजन पता 1. मकान नं. 177-बी सेक्टर बी, हिंद नगर कॉलोनी, कानपुर रोड योजना लखनऊ 226012 पता 2. दुकान नं. 21 प्रथम तल रतन प्लाजा आर्य नगर रोड नाका हिंडोला लखनऊ 226004, जमानतकर्ता /बंधककर्ता-श्री कमल कुमार महाजन पुत्र व श्री देव राज पता 1. मकान नं. 177-बी सेक्टर बी, हिंद नगर कॉलोनी, कानपुर रोड योजना लखनऊ 226012 2. दुकान नं. 2,12,13 रतन प्लाजा आर्य नगर रोड नाका हिंडोला लखनऊ - 226004	दुकान संख्या 21, प्रथम तल, बिल्डिंग संख्या 147, 148 रतन प्लाजा, आर्य नगर रोड, नाका हिंडोला लखनऊ जोकि श्रीमती रुचिता महाजन और श्री कमल कुमार महाजन के नाम पर है। क्षेत्रफल 6.50 वर्ग मीटर विलेख के अनुसार चौहददी: पूर्वः गुरुद्वारा, पश्चिम:गैलरी उत्तरः दुकान एफएफ 1, दक्षिणः सीढ़ी एवं शटर,	अ) 18.09.2024 ब)रू. 52,24,699.08 (दिनांक 31.03.2026 को +ब्याज एवं अन्य खर्चे, घटाओं वसूली यदि कोई हो तो, दिनांक 01.04.2026 से प्रभावी स) 05.12.2024 द)सांकेतिक कब्जा	अ)रू . 10,44,000/- ब)रू. 1,04,400/- 20.05.2026 पूर्वान्ह 10.59 बजे तक स)रू. 10,000/-	20.05.2026 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे	कोई अधिभार ज्ञात नही
2	शाखा :एआरएमबी, लखनऊ(मूल शाखा एमएम मार्केट बाराबंकी) खाता- मेसर्स अवि सजल इंटरप्राइजेज, उधारकर्ता-मेसर्स अवि सजल इंटरप्राइजेज, प्रो. सुश्री रेनू श्रीवास्तव पत्नी श्री विभोर श्रीवास्तव, गाटा संख्या 6 पल्हरी ग्राम ककरहिया बाराबंकी 225001 प्रोपराईटर/बंधककर्ता-सुश्री रेनू श्रीवास्तव पत्नी श्री विभोर श्रीवास्तव, हनुमंत नगर, ककरहिया पल्हरी बाराबंकी जमानतकर्ता-1. श्री विभोर श्रीवास्तव पुत्र श्री हरिश्चंद्र दोनों निवासी हनुमंत नगर, ककरहिया पल्हरी बाराबंकी 225001, 2.श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री सुरेंद्र पाल सिंह, निवासी बी-762 पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे, नवाबगंज बाराबंकी 225001	सभी भाग एवं हिस्सों सहित सम्पत्ति खसरा सं0 6, ग्राम पल्हरी, परगना एवं तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी 225001, क्षेत्रफल 113.80 वर्ग मीटर, जोकि सुश्री रेनू श्रीवास्तव, पुत्री स्व0 ठाकुर प्रसाद श्रीवास्तव के नाम पर है, चौहददी- उत्तर- प्लॉट, श्री विभोर श्रीवास्तव, दक्षिण- प्लॉट, सुश्री साहीन अख्तर, पूर्व -अन्य की भूमि , पश्चिम -सड़क, 20 फीट,	अ)04.01.2025 दि. 10.01.2025 को समाचार पत्र में प्रकाशित ब)रू. 39,03,055.45 (दिनांक 31.03.2026) को +ब्याज एवं अन्य खर्चे, घटाओं वसूली यदि कोई हो तो, दिनांक 01.04.2026 से प्रभावी स)18.09.2025 द)सांकेतिक कब्जा	अ)रू. 47,60,000/- ब)रू 4,76,600/- 20.05.2026 पूर्वान्ह 10.59 बजे तक स)रू. 10,000.00	20.05.2026 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक	कोई अधिभार ज्ञात नही
3	शाखा : एआरएमबी, लखनऊ खाता-मैसर्स पी के इंडस्ट्रीज खाता संख्या 07504011000736 एवं 07507011000317) उधारकर्ता: मेसर्स पी के इंडस्ट्रीज, (प्रोप. विकास कुमार पाठक) पताः ग्राम-मीतपुर, पोस्ट-बहरामघाट तहसील राम नगर, बाराबंकी -225201 उधारकर्ता और बंधककर्ता: श्री विकास कुमार पाठक पुत्र श्री तेज नारायण पाठक, ग्राम-मीतपुर, तहसील राम नगर, बाराबंकी -225201 जमानतकर्ता-श्रीमती सुमन देवी पत्नी देवा राम, निवासी मकान नं. 50, ग्राम- अल्लापुर रानीमऊ, पोस्ट- सूर्यामऊ, तहसील- राम नगर, बाराबंकी- 225201	सभी भाग एवं हिस्सों सहित खसरा नं. 185 ग्राम-मीतपुर, पोस्ट- बेहराम घाट, जिला बाराबंकी, । माप क्षेत्रफल 0.253 हेक्टेयर, अर्थात् 2530 वर्गमी. सम्पत्ति मालिक श्री विकास कुमार पाठक चौहददी (डीड के अनुसार): पूर्वः खरंजा, पश्चिमः खेत विकास कुमार, उत्तरः घूर गढ़ा, दक्षिणः खेत श्रवण जैन नोट- अचल सम्पत्ति एनपीए खाता अवध ऑयल मिल्स में बंधक है।	अ) 29.05.2024 समाचार पत्र में प्रकाशित 05-06-2024 ब)रू. 2,01,95,181/- दिनांक 31.03.2026 को +ब्याज दि- 01.04.2026 से प्रभावी एवं अन्य खर्चे वसूली घटाकर, यदि कोई हो तो स) 08.08.2024 द) सांकेतिक कब्जा	अ)रू. 22,93,920/- ब)रू. 2,29,392/- 20.05.2026 पूर्वान्ह 10.59 बजे तक स)रू. 10,000/-	20.05.2026 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक	कोई अधिभार ज्ञात नही
4	शाखा :029300 लखनऊ गौतम बुद्ध मार्ग (अब एआरएमबी लखनऊ 827200) खाता-मेसर्स अरुण एंड कंपनी, उधारकर्ता- मेसर्स अरुण एंड कंपनी, प्रोप. श्री अरुण मिश्रा पुत्र श्री रुद्रधर मिश्रा, 97/3,4,5 कसाईबाड़ा, जीबी मार्ग लखनऊ -226018 प्रोपराईटर/बंधककर्ता -श्री अरुण मिश्रा पुत्र श्री रुद्रधर मिश्रा निवासी (1) 97/3,4,5 कसाईबाड़ा जीबी मार्ग लखनऊ-226018 (2) मकान नंबर 279/13 स्थित प्लॉट 417/16 मवैया योजना पानदरीबा वार्ड चित्रगुप्त नगर, चारबाग लखनऊ 226001 एवं श्री रुद्र धर मिश्रा (जमानतकर्ता) पुत्र स्वर्गीय राम देव मिश्रा मकान नंबर 279/13 स्थित प्लॉट 417/16 मवैया योजना, पानदरीबा वार्ड चित्रगुप्त नगर, चारबाग लखनऊ 226001	1. साम्यिक बंधक संपत्ति दुकान नंबर 97/3 -4-5 स्थित चंद्रशेखर आजाद मार्ग, कसाई बाडा लखनऊ जोकि श्री अरुण मिश्रा के नाम है। क्षेत्रफल 570.33 वर्ग फुट। चौहददी(डीड के अनुसार): उत्तर-भवन की दीवार का भाग एवं तब अन्य मकान, दक्षिण- चंद्रशेखर आजाद मार्ग 24 फीट, पूर्व- अब्दुल हय एवं श्रीमती आशा मिश्रा पत्नी श्री रुद्रधर मिश्रा का भाग, पश्चिम - श्री अनवारुल और अजीम का अचल सम्पत्ति। 2. साम्यिक बंधक संपत्ति दुकान संख्या एलजी 97/3- 4-5/1 स्थित चंद्रशेखर आजाद मार्ग कसाई बाड़ा लखनऊ जोकि श्री अरुण मिश्रा के नाम पर है। क्षेत्रफल 621.25 वर्ग फीट। चौहददी(डीड के अनुसार): उत्तर- विक्रय की गई दुकान की दीवार उसके बाद वाशिम का मकान, दक्षिण- चंद्रशेखर आजाद मार्ग 24 फीट, पूर्व- दुकान की दीवार और उसके बाद श्री गया प्रसाद का मकान, पश्चिम-संयुक्त दीवार और उसके बाद विक्रेता के अन्य भाग।	अ) 07.09.2024 ब)रू. 1,35,92,895.65 (दिनांक 31-03-2026 को) +ब्याज एवं अन्य खर्चे, घटाओं वसूली यदि कोई हो तो, दिनांक 01.04.2026. से प्रभावी स) 10.01.2025 द)सांकेतिक कब्जा	1.अ)रू. 47,99,000.00 ब)रू. 4,79,900.00 20.05.2026 पूर्वान्ह 10.59 बजे तक स)रू. 10,000/- 2.अ)रू. 52,27,000.00 ब)रू. 5,22,700.00 20.05.2026 पूर्वान्ह 10.59 बजे तक स)रू. 10,000/-	20.05.2026 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक 20.05.2026 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक	कोई अधिभार ज्ञात नही कोई अधिभार ज्ञात नही

नियम एवं शर्ते- बिक्री वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम एवं शर्ते की पुष्टिकरण के अधीन होगी। 1. सम्पत्तियों की बिक्री "जहाँ है वैसा है", "जैसा है वैसा है" और "जो भी हो' के आधार पर की जायेगी। 2. बंधक सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्दिष्ट जानकारी बैंक के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अंकित किये गये है। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी त्रुटि गलत बयान या बिक्री सम्बन्धी घोषणा में हुई चूक हेतु जवाबदेही नही होगा। 3. बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई-नीलामी प्लेटफार्म वेवसाइट https://baanknet.com पर की जायेगी। 4. विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com में दिए गए लिंक को देखें।

बिक्री सूचना सरफेसी एक्ट 2002 के अधीन नियम 8(6) एवं 9(1) के अन्तर्गत वैधानिक चेतावनी है।

दिनांक 30.04.2026 , स्थान लखनऊ — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक, प्रतिभूत लेनदार